



छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन परिसर, बाईपास रिंग रोड, देहरादून।

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in

फोन नं० ०१३५-२६६९६५८

फैक्टरा नं० ०१३५-२८७२९०२

प्रकाशन संख्या: ३१/छ०अ०से०च०था०/ २०२१ देहरादून: दिनांक: ०५ फरवरी, २०२१

चयन हेतु विज्ञापन

समूह 'ग' में सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सचिवालय सुख्खा संघर्ग के अन्तर्गत रक्षक के ३३ रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

नोट: रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	०५ फरवरी, २०२१
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	१० फरवरी, २०२१
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	२६ मार्च, २०२१
परीक्षा रूल्फ Net Banking/Debit Card हारा जमा करने की अंतिम तिथि	२८ मार्च, २०२१
लिखित परीक्षा का अनुमानित समय	जुलाई, २०२१

समूह 'ग' में सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सचिवालय सुख्खा संघर्ग के अन्तर्गत रक्षक के ३३ रिक्त पदों पर रीढ़ी भर्ती हारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आनंदित किए जाते हैं। इब्दुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक २२ मार्च, २०२१ तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आयोग हारा OTR (One Time Registration) को अनिवार्य लिया गया है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोग्राम नहीं भरे गये हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी या छेटा आवेदन पत्र ला भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR के अत्यंत रावधानी पूर्वक भरें। आवेदन—पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के Edit विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार से त्रुटिरहित OTR होने पर ही आवेदन—पत्र भरना ग्राह्य करें। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन—पत्र के कारण कैपिलेक्स सत्यापन के समय अन्यथन निरस्त किया जा सकता है। OTR भरने में सहायता ले लिए Toll free no. 95209991174, 6399990138/139/140/141 पर संपर्क कर सकते हैं।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग हारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की **Offline** अथवा **Online mode** में परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त सनय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना दरकारी सूचक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक सनाचार नत्रों में ऐस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके हारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS तथा ई—मेल हारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रदेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग हारा डाक के रात्यान से प्रदेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे। आयोग हारा डाक के नात्यम से प्रदेश पत्र निर्गत नहीं लिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाये ई—मेल या SMS से ही मिलेंगी। इसलिए अपना स्वयं का फोन नम्बर व ई—गेल ही आवेदन पत्र में दर्शाएं।

* अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञाप्ति के अन्त में दिए गए निर्देशों को भलीभौति अवश्य पढ़ लें।

1. पदनाम—

सचिवालय सुरक्षा संघर्ग के अन्तर्गत रक्षक

पदकोड़— 451/661/31/2021

मुल पद—33

(i) रिक्तियों का विवरण एवं दैतिज आरक्षण की स्थिति :—

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	दैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	OFF	Ex.Ser.	ORPHAN	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सचिवालय सुरक्षा संघर्ग के अन्तर्गत रक्षक (सचिवालय प्रशासन विभाग)	अ0जा0	03	—	—	—	—	—	03
		अ0ज०जा0	02	—	—	—	—	—	02
		अ0पि०न०	03	—	—	—	—	—	03
		आ०क०ब०	03	—	—	—	—	—	03
		सामान्य	22	06	—	01	—	—	15
		योग	33	06	—	01	—	—	26

(ii) वेतनमानः— ₹० 21,700—₹० 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 35 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अहताः—

(a) अनिवार्य अहताः—

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके सनक्षण मान्यता प्राप्त किसी नियमों में उल्लिखित होनी चाहिए।

(b) अधिमानः— लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेग।

(vi) शारीरिक मापदण्ड :—

(क) ऊँचाई	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
सामान्य / अन्य वर्ग	165 सेमी०	152 सेमी०
अनुसूचित जाति	157.5 सेमी०	147 सेमी०
पर्वतीय क्षेत्र	160 सेमी०	147 सेमी०
सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थीयों हेतु)	विना फुलाए	फुलाने पर न्यूनतम
सामान्य / अन्य अभ्यर्थी	78.8 सेमी०	63.8 सेमी०
(ग) शारीरिक वज़ा केवल नहिला अभ्यर्थीयों हेतु —45 किग्रा न्यूनतम		

उपरोक्त शारीरिक मापदण्डों के मामले में अभ्यर्थी स्वयं संतुष्ट होकर आवेदन पत्र में इसका यथा स्थान उल्लेख करेंगे कि उनकी लम्बाई, सीना व वज़ान की माप निर्धारित मानक के अन्तर्गत हैं वे वे इन शारीरिक मापदण्डों के अनुरूप पद के लिये अहं हैं। आयोग द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय इन

29

शारीरिक मानवदों की गौतिक जांच कराई जायेगी व अहं न पाये जाने पर अभ्यर्थी इस पद के लिए आयोग्य घोषित हो जायेंगे।

(viii) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, रामान्य अध्ययन से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। यह परीक्षा हाई स्कूल उत्तर की होगी।

2. लिखित प्रतियोगी परीक्षा -

(i) सामान्य व और्डरीसी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनहं नाने जायेंगे।

(ii) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुनति दी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा के ओ०ए०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिलीकेट में होगे। ओ०ए०आर० उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुनति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्षा निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जाना करेंगे।

(v) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थीद्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:-

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चर विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में कटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुरार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न छल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(घ) ओ०ए०आर० शीट में लाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या लाइटनर शादि का प्रयोग करके मिटाकर उन्हें उत्तर विकल्प का गोला भरा गया है, तो उसे उस उत्तर का अंक नहीं दियेगा एवं ऋणात्मक अंक की भी कटौती की जायेगा।

(ङ) अभ्यर्थी अपनी ओ०ए०आर० शीट में गलत रोल नम्बर अथवा बुकलेट सीरीज अंकित करता है या लुच भी अंकित न करता है तो उसकी ओ०ए०आर० शीट का गूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

29

3 - आयु :-

आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2020 को न्यूगतम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क) परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुरूचित जारियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य देशियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों ली रिस्ति में उच्चतर आठ शीगा उत्तरे वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्देश की जाय।

4. उत्तराखण्ड लोल सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने ले लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिराने अपनी हाइ रकूल एवं इन्टरव्हिएट अथवा इनके सनकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य ने स्थित मान्यता प्राप्त संज्ञानों से प्राप्त की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड रो बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

5. उनापत्ति प्रमाण—पत्रः—

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी रोल में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. राष्ट्रीयता :-

सेवा ने किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) विद्वान् शरणार्थी हो, जो भारत ने स्थायी निवास के आशय से पहली जनपरी, 1962 ई० से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्यनव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से याकिस्तान, भूमध्यमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और दूनाईटेल रिपब्लिक ऑफ़ हंजानिया (पूर्ववती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा ति वह राज्य सरकार से यात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस लप नहानिरीक्षक, अभिन्नवना शाखा, उत्तराखण्ड रो यात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी (न) का हो तो पत्रत का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे शेष में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्फर किया गया हो, किसी परीक्षा में लम्बित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसले पक्ष में जारी कर दिया जाय।

7. चरित्रः—

सेवा में किसी गद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायेजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के पौरन यदि अभ्यर्थी का कार्य—ब्याहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध सम्बल् कार्यवाही लौ जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी जायेग द्वारा की जायेगी।

8. वैदाहिक प्रास्थिति—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पत्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिराकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय रेसा करने के विशेष लारण दियागान हैं।

9. शारीरिक स्वस्थता—

ठिसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक तृष्णा से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो उन्हीं ऐसी शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो चित्र उस्त—मुस्तिका खण्ड—बो, भाग—तीन के अध्याय—तीन में मूल नियम—10 के अधीन हनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

10. आरक्षण—

1. ऊर्ध्व आरक्षण— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कन्जोर वर्गी और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

2. क्षेत्रिज आरक्षण— उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतनूर्द सैनिकों को क्षेत्रिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के राज्य आरक्षण रांबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण—पत्र अपलोड करना अनियार्य है।

3. आर्थिक रूप से कन्जोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है।



(i) "भूतपूर्व सैनिक" रो उत्तराखण्ड का रेसा अधिवासी अभिप्रेत हैं, जिसने भारतीय धर्म सेना, नौ सेना या दायु सेना ने योद्धक या जनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी बैश्नव अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा रो सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे डिकिट्सीट या अन्य योग्यता पेशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कभी किये जाने के फलस्वरूप, स्वर्ण की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) डिशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्थाय की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेव्यटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्यक्रम भी हैं—(एक) निरन्तर संलिप्त सेवा के लिए पेशाग पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अवेक्षाओं ने अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी ने घोषित किया जायेगा, जह तक कि वह Open Category की मेरिट ने स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम हिंदू तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी रांबंदी प्रगति—पत्र अभिलेख सत्यापन के साथ प्रत्युत्तर करना अनिवार्य होगा।

नौट—भूतपूर्व सैनिकों के आकृतियों को निर्धारित क्षेत्रिज आरक्षण या उनके आकृति के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आकृति" से तात्पर्य रवतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और उत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (उत्र का पुत्र) और पौत्री (उत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से हैं।

1. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए रवीकृत कुल संवर्गीय पदों का 18%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए रवीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रवीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कन्जोर घर्नों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% लव्ह आरक्षण अनुमन्य किया गया है, किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभागीय रोस्टर के अनुरूप जो आरक्षण इंगित किया गया है उसी के अनुरूप विज्ञाप्ति ने उर्ध्व आरक्षण का उल्लेख है।
2. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 06%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आकृति के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04% क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य है ए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभागीय रोस्टर के अनुरूप जो क्षेत्रिज आरक्षण दिया गया है, वही विज्ञाप्ति में उल्लिखित है।
3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी ने आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

4. शेहीज या उर्ध्व कोई भी आरक्षण राज्य के निवासी अध्यर्थियों को ही उपलब्ध होगा। अतः आरक्षण की किसी भी श्रेणी का विकल्प लेने के लिये अध्यर्थियों ले आनलाइन आवेदन पत्र में संबंधित आरक्षण श्रेणी के साथ-साथ Domicile विकल्प का चयन करना होगा य संबंधित बटन ले विलक करना होगा, अन्यथा ऐ आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

11. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:-

1. आवेदकों द्वारा UKSSSC की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदकों द्वारा पहले UKSSSC की वेबसाइट पर जाना होगा और “OTR” लिंक पर क्लिक कर अपना One Time Registration Profile बनाना उनिवार्य होगा।
3. उन्नीदवारों द्वारा यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
4. उन्नीदवार को OTR प्रोफ़ाइल ने दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव करना होगा।
5. उन्नीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताखर की इनेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
 - फोटो का साइज (पात्तपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी)
 - स्कैन की हुई हस्ताखर का साइज (अधिकतम 50 केबी)
 - अंगूठे का निशान (अधिकतम 50 केबी)
6. यूजर नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उन्नीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। “आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें” लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध है।
7. “आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम ह्वारा प्रवर्णित किया जाता है। ऐसे में यदि अन्यथा योग्यता प्राप्ति करते हैं तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा।
8. लेवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उन्नीदवार का आवेदन ही सिस्टम ह्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
9. उम्मीदवार आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बनलाव नहीं कर सकते।
10. उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
11. UKSSSC द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता है:-

- नेटबैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड
- सीएससी केंद्र

12 शुल्क:-

ऑनलाइन आवेदनपत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी रावंप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (Net Banking/Debit/Credit Card)के माध्यम से जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क अध्ययन के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ गाना जायेगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अन्यर्थी को वापस नहीं होना। अभ्यर्थी जना शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाइन की प्रति अन्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)/उत्तराखण्ड अन्व. पिछड़ा वर्ग	₹० ३००/- नात्र
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	₹० १५०/- नात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)	₹० १५०/- नात्र
04	उत्तराखण्ड दिव्यांग/आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग	₹० १५०/- नात्र

नोट:- निर्धारित तिथि तक शुल्क अध्ययन के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा।

13. आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़े:-

(1) OTR तथा आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, यह के लिए निर्धारित न्यूनतम रैकिंग अहंता, सेवाओंजन एंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपक्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही OTR तथा आवेदन पत्र भरें क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरेक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अव्यर्थन निररत हो सकता है। राईबर कैफे रो आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढ़ें। यदि आवेदन ने लोई त्रुटि है तो OTR में Edit विकल्प लें। आवेदन पत्र भरने के बाद Final Submit बटन विलक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने हारा भरी गई प्रदिशि को संशोधित कर सकते हैं। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेदार है तथा आवेदन पत्र अन्तिम रूप से भरे जाने के बाद इसमें संशोधन स्टीकार नहीं किया जाएगा। OTR में अन्यर्थी का नान, पिता का नाम तथा जन्मतिथि, श्रेणी, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर को यदि अन्यर्थी द्वारा गलग भरा जाता है, तो अन्यर्थी द्वारा "MY REQUEST" Button को Click कर संशोधन हेतु request भेजी जा सकती है, जिसे आधोग स्तर से Approve किया जायेगा व इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी की details ऊंचे update हो जाएगी।

(2) अभ्यर्थी उक्त एवं क्षेत्रिज आरक्षण से स्म्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन OTR तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट्रैट यायिका (स्पेशल अपील) संख्या:-78/2010 राथा मित्तल इनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने ना० उच्च न्यायालय, नैगीताल

द्वारा पारित आदेश मिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस)19532/2010 ने मात्र उच्चतम न्यायालय हारा पारित आदेश के ग्रहम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदाचि अनुनन्द नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रगाण—पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तनान में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुगम्य किया जाया है। इस क्षेत्री में आवेदन करने वाले अन्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य ईंटिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को नियत समझ तक अभ्यर्थी को “ONLINE APPLICATION” प्रक्रिया में “Submit” बटन को “Click” करना अनिवार्य है। उत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र तथा अन्य अनिलेखों की एन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्रावार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य डेटू अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अध्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अनिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा OTR तथा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण—पत्रों के आधार पर पुष्ट न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (ईंटिक योग्यता/अनुबन्ध/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 03 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐ परीक्षा ने प्रदेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रदेश पूर्णतः अनन्तिय होगा। अभ्यर्थी लो नात्र प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अध्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अनिलेख रात्यापन के घरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अहं नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अन्धर्धन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि यह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) OTR तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की नयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से साब्दित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी दिनु पर किसी भी प्रकार का जंशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भौति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही—राही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने

के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाएं गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का निर्वर्तन किसी भी दशा में अनुमत्य नहीं होगा।

(9) अभ्यर्थी अपने OTR प्रोफाइल कभी भी भर सकते हैं। एक बार OTR प्रोफाइल भरने के बाद प्रत्येक आवेदन-पत्र में उनका यह डेटा रखतः आ जाएगा तथा उन्हें बार-बार छिप्तृत आवेदन-पत्र नहीं भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय भूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय ले अंतिम दिनों में इससे वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है व इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से बंधित हो सकते हैं।

(10) आयोग हासा सम्बन्ध की जाने वाले सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की रांगत रोकानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियनावलियों/नैनुअल्ट/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्रारिधानों के अन्तर्गत सन्बन्ध की जाएगी।

(11) आयोग अभ्यर्थियों ले उनकी गत्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्युक्त अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की इत्तों के अनुसार अहं हैं। अमिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की रौद्रिक व अन्य अनिवार्य अहंताओं को रोका नियमावली के प्रतिधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अहंता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अन्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा रौद्रिक अहंता के आवार पर अनहं होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्थीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में आयोग द्वारा कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(12) आयोग हासा OTR की नई व्यवस्था में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईरकूल प्रगाण पत्र के ऊनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को शपना अलग मोबाइल नंबर व इं-नेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के मास आप्ना स्वयं का मोबाइल नहीं है तो वे अपने परिवार के सदरयों के मोबाइल नंबर अंकित करें जो आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अमिलेख मान्य नहीं होगा।

(13) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से लग शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अन्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(14) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु पिछले दीनिक सनाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(15) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उसी दिन आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में आपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(16) परीक्षा लेन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अन्यथा को फोटो कैमरा, कैल्फुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि हे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते यार जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आदोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में समिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अन्यथियों को उनके हित में स्लाह की जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैनरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(17) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित—परीक्षा कक्ष में कोई भी अन्यथा किसी भी अन्य अन्यथा की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवादेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(18) परीक्षा भवन में आचरण—कोई भी अन्यथा परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का बुर्बाहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा दीनारा रटाक को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR) की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को रोपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अन्यथा गूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो एसे अन्यथों का परिगान रोक दिया जायेगा।

(19) लेन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अन्यथियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक ला 'अनुपत्ति' प्रमाण पत्र गूल रूप में तथा रवप्रनापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(20) कदाचार के दोषी यादे गए अन्यथियों के विरुद्ध कार्यवाही—अन्यथियों को साचेत किया जाता है कि आदेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न हो किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि ये उपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रतिक्रिया में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा एकबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल लिया गया/जाती प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या तो से अधिक दस्तावेजों के द्वारा अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति हो तो इस विसंगति के द्वारे में अन्यथों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना धूमिल। परीक्षा कक्ष में प्रतिबन्धित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अन्यथी का अन्यथन निरस्त करने के साथ ही उन्हे आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने वे उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेंगी। परीक्षा के उपरान्त घयन के अन्य घरणों में भी अन्यथियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अन्यथन को निररत करने हेतु कानून बनेंगी।

(21) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अन्यथी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग लो ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि यह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(22) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अन्यथा रो प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इरामे परिवर्तन किए जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आवोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(23) लिखित प्रतिवेदी परीक्षा में प्राप्त अंकों से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अन्यथियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

(24) अन्यथियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबराइट के माध्यम से अनुकूल करायी जायेगी। अतः अन्यथा आवोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in का सम्यक् संबोध पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(25) विज्ञापन की आशक्ति तालिका में प्रथम संक्षेप सामूहिकों को निमानुसार पढ़ा जाय—

आ०क०३०-आधिक रूप से लमजौर वर्ग

Wo- महिला अन्यथा

DTF- रवतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

Ex- भूत्तूर्व सैनिक

PII- दिव्यांग

(26) इस विज्ञाप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा ने अन्यथन से संबंधित अन्य इतरं व पात्रतायें स्वाप्त हैं। इन्हें भलीभौति देखकर आठेदन करें। आवेदन—पत्र भर जाने का अर्थ है कि अन्यथा इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रनावित करने वाला समझा जायेगा।

(27) आवोग द्वारा ऊब ऑफलाइन परीक्षा के साथ-साथ ऑनलाइन (**Computer based test**) परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से सम्पन्न कराई जा सकती है।

२५/१२/२१
(संतोष बडोनी)
सचिव